राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 600/2012/जोधपुर

मैसर्स मोहनगढ़ इंजीनयिर्स एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी,
जोधपुर। .....अपीलार्थी.

ब्नाम

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.05.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स–प्रथम), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **12.01.2012** के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 7/आरवेट/जेयूए/2011–12/ के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉट्रेक्ट एवम् लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत् पारित आदेश दिनांक 10.02.2012 के जरिये कायम मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में प्राप्त कार्य संविदा के तहत् मुक्ति प्रमाण पत्र के लिये कुल राशि ₹629 लाख के मूल ठेका प्राप्ति के पश्चात् ठेका कार्य ₹854 लाख होने के कारण, उक्त बढ़ी हुयी राशि ₹225 लाख को मुक्ति प्रमाण पत्र के तहत् नहीं होना अवधारित कर, उक्त राशि पर नियमानुसार करारोपण कर, आदेश पारित किया गया। इसी कम में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी को कार्य संविदा के तहत् प्राप्त कार्य के लिये प्रयुक्त मेटेरियल ''नट बोल्ट, ऑयरन स्टील, बजीर, खाण्डा, मोंगिया'' की दर्शायी गयी खरीद कम प्रतीत होना अवधारित कर, उक्त को अपंजीकृत खरीद पर 4 व 12.5 प्रतिशत की दर से कर **₹45,500/–** आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया । उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहमति प्रकट करने पर (जैसा कर निर्धारण आदेश में अंकित है) कर आरोपित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.

लगातार.....2

12(101)एफडी/टैक्स/2011—45 दिनांक 12.09.2011 के जरिये पूर्व जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में किये गये संशोधन के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी को बढ़ी हुयी राशि ₹225 लाख का प्राप्त कार्य ओदश को मुक्ति प्रमाण पत्र के तहत् सम्मिलित होना अवधारित कर, संशोधित मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया व अपंजीकृत खरीद पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा 4 व 12.5 प्रतिशत की दर से कर **₹45,500/—** आरोपित करने के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहमति प्रकट करने पर, उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद ठेके में प्रयुक्त सामग्री की सूची कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। इसके बावजूद अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई विशिष्ट नोटिस जारी किये, क्रय में वृद्धि कर अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद को बढ़ा कर, कर आरोपित किया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त किये गये करारोपण के संबंध में किसी प्रकार की कोई सहमति प्रकट नहीं की गयी थी फिर भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहमति प्रकट करना अंकित कर, करारोपण किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के हस्तगत प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्य **संविदा निष्पादन में माल की कुल मात्रा की आवश्यकता का अभिनिर्धारण किये बिना ही, बिना युक्तियुक्त आधार के कार्य संविदा निष्पादन माल मूल्य का अन्तरण अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय करना मान कर,** करारोपण किया गया है । इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी स्तर पर उक्त बिन्दु पर करारोपण करने के संबंध में लिखित सहमति प्रदान नहीं की गयी है जहां तक मौखिक सहमति का प्रश्न है, उक्त प्रमाणस्वरूप नहीं मानी जा सकती। अतः प्रकरण उक्त बिन्दु पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में करारोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को किये जाने वाले करारोपण का विशिष्टि नोटिस जारी कर, अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान

लगातार.....3

कर, अधिनियम के प्रावधानानुसार आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में करारोपण की कार्यवाही करें। इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में समस्त दस्तावेज प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। फलस्वरूप, अपीलीय आदेश उक्त बिन्दु पर अपास्त किया जाकर, प्रकरण उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

परिणामतः, अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

28.5.2014

(मदन लाल)
सदस्य